Lkekos'kh f'k{kk grq v/;kid rS;kj djuk

[1]MkW0 uouhr lDlsuk] [2]Jh lathO dqekj

[1,2]सहायक आचार्य, शिक्षा विभाग, स्वामी विवेकानन्द सुभारती विष्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश

Lkkjka'k

शिक्षा देने के लिए एक बच्चे को परिस्थिति अनुसार किसी एक खास पायदान पर खड़ा करना पड़ता है परन्तु उनके कल्याण और सामंजस्य के लिए शिक्षा की मुख्य धारा और परिपाटी का सहारा लेना पड़ता है। अच्छा जीवन बिताने के लिए उनके जीवन का समायोजन समाज की मुख्यधारा के साथ ठीक धारा से हो जाए। इस प्रक्रिया में जितनी शीघ्रता होती है, उतनी ही वह लाभकारी सिद्ध होती है। अतः इस काम के लिए विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा सबसे सुलभ साधन मानी जाती है, और इस कार्य में अध्यापकों तथा उन व्यक्तियों को जो विशिष्ट तथा अपंग बच्चों की शिक्षा देने में सहायक होते हैं, बड़ी अहम् भूमिका होती है। इस विषय में गहराई से सोचने के लिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता होती है। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें सामान्य विद्यालय में सामान्य बच्चों तथा बाधित तथा अपंग बच्चों को एक साथ शिक्षित दी जाती है। जिसका उद्देश्य असमर्थी बच्चों के साथ असमर्थता का पता लगाकर उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है, व देश की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जाता है तथा इसमें समाज में फैली हुई भ्रांतियों को भी दूर किया जाता है।

अध्यापक को छात्रों का मार्गदर्श के साथ–साथ पथ प्रदर्शक भी माना गया है। शैक्षणिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और शिक्षा के आयोजन के लिए अध्यापक एक मुख्य साधन है। अतः समावेशी शिक्षा हेतु जो अध्यापक तैयार किया जाए उसमें नैतिक, मानसिक, वैयक्तिक तथा शारीरिक गुण होना आवश्यक है।

अध्यापक शिक्षा व्यवस्था का जन्म शिक्षा के साथ ही 2500 शताब्दी पूर्व हुआ। भारत में अध्यापक शिक्षा के इतिहास को पांच भागों में बांटा जा सकता है।

प्राचीनकालीन अध्यापक शिक्षा	–	2500 ई0पू0 से 500 ई0पू0
बुद्धकालीन अध्यापक शिक्षा	–	500 ई0पू0 से 1200 ई0पू0
मुस्लिम कालीन अध्यापक शिक्षा	–	1200 ई0पू0 से 1700 ई0पू0
ब्रिटिश कालीन अध्यापक शिक्षा	–	1700 ई0पू0 से 1947 तक
स्वतन्त्र भारत में अध्यापक शिक्षा	–	1947 से अब तक

प्राचीन कालीन अध्यापक शिक्षा व्यवस्था के संबंध में अधिक साक्ष्य उपलब्ध नही हैं। भारतीय सभ्यता के प्रारंभिक काल में शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः वेदों से संबंधित थी। आर्य समाज के चार वर्णों में से केवल ब्राह्मण वर्ग ही समाज को शिक्षित बनाने का कार्य करता था।

उस समय शिक्षा जाति व्यवस्था पर आधारित थी। हर जाति अपने व्यवसाय के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित थी। ब्राह्मण अपना जीविकोपार्जन शिक्षा देकर ही करते थे। उस समय प्रशिक्षण प्रदान करने वाली कोई औपचारिक संस्था नहीं थी।

प्राचीनकाल में यह धारणा थी कि शिक्षक जन्मजात होते हैं, प्रशिक्षण द्वारा नहीं बनाये जा सकते हैं। उस समय शिक्षक का कार्य विषय ज्ञान और कौशल सिखाना नही था। प्रत्युत छात्रों को ज्ञान की प्राप्ति कराना था।

बुद्धकाल में अध्यापक के प्रशिक्षण के महत्व को पहचान लिया गया था। इस काल में यह धारणा बनी कि शिक्षण का व्यवसाय केवल ब्राह्मणों की ही धरोहर नही है। वास्तव में औपचारिक अध्यापक प्रशिक्षण की व्यवस्था इसी काल में शुरू हुई।

मुस्लिम काल के दौरान अध्यापक प्रशिक्षण की कोई औपचारिक व्यवस्था न थी। शिक्षा एक जनकार्य बन गयी थी। शैक्षिक संस्थायें मदरसों के रूप में थी और केवल मौलवी ही अध्यापक के रूप में कार्य करते थे। इस काल में मौलवी, ही अध्यापक के रूप में कार्य करते थे। इस काल में मौलवी, मुकलीस और मदरसों के अध्यापक के रूप में कार्य करते थे। इस काल में किसी भी पद की नियुक्ति के लिए कोई व्यवसायिक प्रशिक्षण आवश्यक नहीं समझा गया।

ब्रिटिश काल में अध्यापक शिक्षा की प्रगतिशील व्यवस्था स्थापित की गई। इनके द्वारा स्थापित शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था और शिक्षक प्रशिक्षण को औपचारिक व्यवस्था भारत में नहीं पहचानी गई। अध्यापक शिक्षा की औपचारिक व्यवस्था इंग्लैण्ड के लोगो के द्वारा शुरू की गई। सर्वप्रथम डैनिस मिशनरीज़ ने एक औपचारिक प्रशिक्षण केन्द्र शेरामपुर (पंश्चिम बंगाल) में स्थापित किया। ये मिशनरीज़ व्यक्तिगत संस्थाये थी। छात्रों के मार्गदर्शन करने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अध्यापकों की भूमिका को निम्न शिक्षाविदों ने अलग–अलग प्रकार से व्यक्त किया है। नेल्सन एल0बॉसिंग ने कहा है **f'k{kk dh fdlh Hkh ;kstuk esa v/;kid dk dsUnzh; LFkku nrk gS** समावेशी शिक्षा वह है जिसमें सामान्य विद्यालयों में सामान्य बालकों के साथ बाधित व अपंग बालकों को शिक्षा प्रदान की जाती है।

Lkekos'kh f'k{kk ds fUkEu mn~ns'; gS

1. बच्चों की असर्थताओं का पता लगाया उनको दूर करने का प्रयास करना।
2. असमर्थों को शिक्षित करके देश की मुख्य धारा से जोड़ना।
3. जागरूकता की भावना का विकास करना।
4. समाज में असमर्थ बच्चों में फैली भ्रांतियों को दूर करना।
5. प्रजातांत्रिक मूल्यों के उद्देश्यों को प्राप्त करना। (न्याय/समानता/भ्रातृत्व)
6. असमर्थ बच्चों को आत्म–निर्भर बनाना।
7. असमर्थ बच्चों के लिए पुर्नवास का प्रबन्ध करना।
8. असमर्थ बच्चों को जीवन की चुनौतियां का सामना करने योग्य बनाना।
9. असमर्थ बच्चों को सामाजिक रूप से समाज से जोड़ना।
10. असमर्थ बच्चों को सांस्कृतिक रूप से समाज से जोड़ना।

शैक्षणिक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और शिक्षा के आयोजन के लिए अध्यापक एक प्रमुख साधन है। समावेशी शिक्षा के शिक्षक को तैयार करने में शिक्षक में निम्न गुण होने चाहिए।

1. शिक्षक कक्षा में समय पर पहुंचना चाहिए।
2. शिक्षक कक्षा कक्ष में शिक्षण के अनुकूल वातावरण तैयार करे।
3. शिक्षक कक्षा शिक्षण में रूचि ले।
4. शिक्षक कक्षा में पूर्ण तैयारी से पहुंचे।
5. शिक्षक गृहकार्य की नियमित जांच करे।
6. शिक्षक को कक्षा मं अनुशासन बनाये रखना चाहिए।
7. शिक्षक को कक्षा कक्ष आचार संहिता का निर्धारण करना।
8. शिक्षकों को अच्छे कार्य करने वाले छात्रों का उत्साह वर्धन करना चाहिए।
9. छात्रों की गलतियों पर ध्यान देना चाहिए।
10. स्व अनुशासन पर विशेष बल देना चाहिए।
11. शिक्षक धूम्रपान व नशे से बचने के लिए छात्रों को प्रेरित करे।
12. शिक्षक को विद्यालय के प्रधानाध्यापक के आदेशों का पालन करना चाहिए तथा विद्यालय की समय–सारणी का अनुपालन करना चाहिए।
13. शिक्षक को छात्रों के समझ महापुरूषों के व्यक्तित्व को प्रस्तुत करना चाहिए।
14. शिक्षक छात्रों में नेतृत्व गुणों को विकसित करने वाला होना चाहिए।
15. शिक्षक, छात्रों को कठिन परिश्रम व निरंतर अभ्यास हेतु प्रेरित करने वाला होना चाहिए।
16. शिक्षक को परीक्षा की जांच तथा मूल्यांकन में निष्पक्षता बनाये रखना चाहिए।
17. शिक्षक को स्वयं का मूल्यांकन करके अपने विषय, ज्ञान व योगदान में बढ़ोतरी करनी चाहिए।
18. शिक्षक को स्वयं के नैतिक मूल्यों का विकास करना चाहिए।
19. शिक्षक को छात्रों में भेदभाव न करना चाहिए।
20. शिक्षक को पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संचालन हेतु सकारात्मक विचार रखते हुए कार्यक्रमों में हिस्सा लेना चाहिए तथा छात्रों को भी उत्साहित करना चाहिए।
21. शिक्षक को विद्यालय में प्रभावोत्पादक वातावरण का निर्माण करना चाहिए।
22. शिक्षक विद्यालय के शिक्षण कार्य के प्रति ही उत्तरदायी नही है अपितु सामुदायिक संबंधों के प्रति भी जवाबदेह होता है।
23. शिक्षक को छात्र/छात्राओं को गुटबाजी का शिकार नहीं होने देना चाहिए तथा विद्यालय कार्यक्रमों को राजनैतिक रूप न देना चाहिए।

समावेशी शिक्षा के लिए अध्यापक तैयार करने में अध्यापक के अन्दर उर्पयुक्त व्यवसायिक गुण होने चाहिए। एक शिक्षक को नियमित और समय का पाबन्द होना चाहिए तथा एक शिक्षक का प्रमुख उद्देश्य किसी भी मुश्किल विषय को सरल रूप

से प्रस्तुत करना चाहिए।
शैक्षणिक प्रगति एवं सफलता शिक्षक के कार्य दायित्व एवं सक्रियता पर निर्भर करती है। छात्रों की सफलता में आदर्श शिक्षक का सक्रिय योगदान होता है।

एक आदर्श शिक्षक का कर्तव्य है कि वह अपने विद्यार्थियों में छुपी हुई अन्तःनिहित क्षमताओं को उजागर करे, न कि सूचनाओं को ठूँस–ठूँस कर मस्तिष्क में भरे।

शिक्षा को सर्वज्ञ मानव में निहित विविध प्रतिभाओं तथा क्षमताओं की पहचान कर उसका विशिष्ट प्रकटीकरण करना ही शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा के बिना सभ्य और सुशिक्षित समाज की कल्पना करना व्यर्थ है। शिक्षक, अपने ज्ञान, अनुभव, दक्षता एवं कौशल से जन साधारण को खास इंसान बना सकता है।

उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों के साथ शिक्षकों की तैयारी हेतु दर्शाये गये गुणों के मद्देनजर यह स्पष्ट व सावधानीपूर्वक ध्यान रखना होगा कि बालकों का विशिष्टता के अनुरूप शिक्षक को शिक्षण कौशल योग्यता के विकास के साथ–साथ छात्रों की व्यक्तिगत रूचि एवं योग्यता के अनुरूप अधिगम कराने की शैली का ज्ञान एवं अभ्यास कराया जाना आवश्यक है और यह तभी संभव है जब शिक्षक अपने को समावेशी शिक्षा हेतु मानसिक एवं ज्ञानात्मक दृष्टि से तैयार कर ले और यह तभी संभव है जब शिक्षक में आत्म विश्वास एवं कर्तव्यनिष्ठा का बोध हो एवं निम्न प्रश्नों का जवाब स्पष्ट हो–

1. क्या मैं छात्रों के रूचि एवं योग्यता की पहचान कर सकता हूँ?
2. क्या मैं विशिष्ट बालकों को अधिगम कराने हेतु सक्षम हूँ?
3. क्या मैं भावात्मक रूप से परिपक्व हूँ? जिससे छात्रों से की गई गलतियों को नजर अंदाज कर सकूँ।
4. क्या मैं सभी छात्रों को समन्वयक दृष्टि से देख सकता हूँ?
5. क्या मैं सभी जीवों में परमात्मा का स्वरूप देख सकता हूँ?
6. क्या मुझे अधिगम शैली के सभी पहलुओं का ज्ञान है?

उपरोक्त तथ्यों के साथ शिक्षण योग्यता का स्पष्ट ज्ञाना होना आवश्यक है। जैसे–
1. पाठ्योजना का निर्माण
2. नैदानिक परीक्षण का ज्ञान
3. उपचारात्मक शिक्षण शैली का ज्ञान
4. छात्र अधिगम आधारित पाठ्य योजना का ज्ञान
5. विषय–वस्तु विश्लेषण क्षमता
6. व्यापक एवं सतत मूल्यांकन के साथ छात्र लक्ष्य निर्धारित शिक्षण का ज्ञान

इत्यादि तथ्यों के साथ–साथ समावेशी शिक्षा के शिक्षक को स्वयं मानसिक एवं आध्यात्मिक रूप से अपने को तैयार कराना होगा एवं तैयार करना चाहिए। अगर ऐसा संभव है तो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है।